//विज्ञापन//

क्रमांक/ 2165 **/जि.पं./NRLM/2025-26** **मुंगेली, दिनांक 17.03.2026**

विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के *पत्र* क्रमांक/ESTB/1107/2025-SECTION CGSRLM/नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23-02-2026 में दिये गये स्वीकृति के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' अंतर्गत जिला पंचायत मुंगेली (छ.ग.) के जनपद पंचायत स्तर में विकासखसण्ड **परियोजना प्रबंधक–02 (अ.जा. 01–मुक्त/अ.ज.जा. 01–मुक्त) एवं क्षेत्रीय समन्वयक–01 (अनारक्षित–मुक्त)** ***पद*** के नवीन स्वीकृत संविदा पद पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र **दिनांक 18.03.2026 से 06.04.2026 तक सायं 5.00 बजे** तक **कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.) पिन कोड– 495334** के नाम से स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(1) विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	विज्ञापित पदों का वर्गवार विवरण					निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		अनारक्षित (मु.)	अ.ज.जा. (मु.)	अ.जा. (मु.)	अ.पि.व	योग	
01	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	0	1	1	0	02	39,875/–
02	क्षेत्रीय समन्वयक	1	0	0	0	01	26,490/–

टीपः– 1. **आवदेन लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम, वर्ग, एवं आवेदक का पता स्पष्ट अक्षरो में लिखा होना चाहिए।**

2. **आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेज आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित किया जावें। अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।**

(2) रिक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100) विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	39,875/-	शिक्षा – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि/द्विवर्षीय डिप्लोमा। **अनुभव–** स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखंड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक क्षेत्र का कार्यानुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एंव अधिकतम 05 अंक	05
				साक्षात्कार	15
2	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490/-	शिक्षा– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्याालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। **अनुभव–**स्नातक उपाधि उपरांत विकासखंड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 01 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्न्मेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एंव अधिकतम 05 अंक	05
				लिखित/कौशल परीक्षा	10

नियम एवं शर्तेः–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन बंद लिफाफे में सिर्फ पंजीकृत/स्पीड डाक के माध्यम से **दिनांक 18.03.2026 से 06.04.2026 सायं 05:00 बजे तक कार्यालयीन दिवस पर कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली (छ.ग.) पिन कोड–495334** के नाम से आवेदन स्वीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से एवं समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. रिक्त पदों के लिये पदवार अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
3. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रू. का डाक टिकट सहित स्वयं का पूर्ण पता लिखकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
4. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
5. किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
8. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण–पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त माना जावेगा।
9. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। ततपश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9–1/2012/1–3 दिनांक–31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
11. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
13. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
14. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

15. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनमें से पात्र अभ्यर्थियों में से एक पद के विरूद्ध 10 अभ्यर्थियों को लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा तद्उपरांत अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
16. विज्ञापन में वर्णित अनुभव के अलावा अन्य कोई भी अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।
17. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम हस्ताक्षर सहित एवं नियुक्ति आदेश की छायाप्रति अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा– जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही शासकीय अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक को समस्त कार्य अवधि का प्रमाणित पे–स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
18. समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के अन्तिम तिथि तक जारी ही मान्य होगा एवं प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
19. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
20. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
21. शासकीय/गैर–शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
22. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
23. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।
24. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
25. विज्ञापन में पदवार जिले का रोस्टर लागू होगा। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
26. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत मुंगेली (छ.ग.) के सूचना पटल, जिला प्रशासन मुंगेली के वेबसाइट www.mungeli.gov.in, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' की वेबसाइट www.bihan.gov.in से अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी उपरांत दावा–आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य दिशा–निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.mungeli.gov.in, में प्रकाशित

किया जावेगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

27. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी।
28. आवेदक द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेज नियुक्ति उपरांत गलत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
29. नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल फिटनेस कराया जावेगा।
30. संविदा नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
31. मिशन संचालक SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर नवा रायपुर, के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मुंगेली (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम ....

आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित) चस्पा करें

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत मुंगेली (छ0ग0)
पिनकोड- 495334

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में – ....

   (ब) अंग्रेजी में – ....

2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) – ....

   अंग्रेजी में – ....

3. लिंग (महिला/पुरूष/तृतीय लिंग) – ....

4. वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.)– ....

   (समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. जन्म तिथि (अ) अंकों में – ....

   (ब) शब्दों में – ....

   (स) दिनांक 01.01.2026 को आयु– वर्ष .... माह .... दिन ....

   (जन्म तिथि हेतु कक्षा 10वीं का अंकसूची संलग्न किया जावें।)

6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता – ....

   ....

   ....

7. स्थायी पता – ....

   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)..

   ....

8. मोबाईल नंबर – ....

9. ई–मेल आई डी – ....

10. आधार नंबर – ....

11. शैक्षणिक योग्यता का विवरण –

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी
1							
2							
3							
4							
5							
6							

(आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक योग्यता की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)

12. अनुभव संबंधी विवरण

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7

(अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

13. वैवाहिक स्थिति :–

(क) (विवाहित/अविवाहित) :– ....

(ख) विवाह का दिनांक :– ....

(ग) जीवित संतान का विवरण :–

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1			
2			
3			

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

(अनुभव हेतु सैलेरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य है।)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर